

विद्यालय अतिरिक्त प्रश्न संख्या 5377 दिनांक 15/3/17 के प्रश्नोत्तर

परिशिष्ट (क)

श्री परिशिष्ट

पृष्ठ-1-2

कार्यालय उच्च चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला शिवा (म.प्र.)  
कुर्गु/सा.जी.सहा.विधि/३८१६/४२६- शिवा, दिनांक 09.09.2016  
शान्ति

①

कलेक्टर महोदय  
जिला शिवा (म.प्र.)

विषय:- श्री संत कुमार मुजवा निवासी ग्राम हावा तहसील  
हनुमता जिला शिवा को राज्म बीमारी सहायता विधि  
से सहायता के संबंध में।

संदर्भ:- आपका कार्यालयीन पत्र कुर्गु/३५०/कलि-1/  
३८१६ शिवा दिनांक १९/३/२०१६

उपरोक्त विषय में निवेदन के साथ लेख है कि  
श्री संत कुमार मुजवा निवासी श्री रामलाल मुजवा निवासी ग्राम  
हावा तहसील हनुमता जिला शिवा को गंभीर बीमारी के उपचार  
हेतु राज्म बीमारी सहायता विधि से सहायता प्राप्त होने संबंधी  
पत्र आपके कार्यालय के माध्यम से प्राप्त हुआ है।

इसीसे के अवलोकन पर पाया गया है कि  
उपरोक्त मरीज की बीमारी DIGLOVING INJURY के उपचार की  
सुविधा ल्यागीप सोजप गौधी ल्याते चिकित्सालय शिवा में  
उपलब्ध है साथ ही उक्त बीमारी राज्म बीमारी सहायता विधि  
से चिन्हित गंभीर बीमारियों की श्रेणी में नहीं आती है।

अतः उक्त बीमारी के उपचार हेतु राज्म बीमारी  
सहायता विधि से सहायता नहीं दी जा सकती।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी  
जिला शिवा (म.प्र.)

कुर्गु/सा.जी.सहा.विधि/३८१६/४२६-२७ शिवा दिनांक 09.09.2016  
शान्ति

श्री सुरेन्द्र सिंह वना प्रांतीय विद्यालय  
विद्यालय सभा सेत्र ७। महुगल जिला शिवा की ओर सूचनायें।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी  
जिला शिवा (म.प्र.)



2

परिशिष्ट (ख)

कार्यालय उच्च न्यायालय कोचिणरी जिला रोवा (म.प्र.)  
कर्मचारी - श्री. महेश चंद्र / 4477 दिनांक 14.06.2016  
पति

श्री अरुण कुमार मिश्रा

ग्राम पोस्ट टकरैया प्रतापगढ़

तहसील हनुमन्त जिला रोवा (म.प्र.)

विषय:-

पुत्री के किडनी की बीमारी के उपचार हेतु सहायता के संबंध में।

संदर्भ:-

कार्यालय कलेक्टर जिला रोवा का फ़ॉर्म क्रमांक 219/  
कले-1/2016 रोवा दिनांक 04/6/2016

उपरोक्त विषय में लेख है कि आपने द्वारा अपनी पुत्री संध्या मिश्रा की किडनी की बीमारी के उपचार हेतु सहायता दिए जाने का वह आवेदनपत्र कलेक्टर महोदय जिला रोवा को देगा गया था जो इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है। इस संबंध में आपकी ओर से लिखा कि आप किसी गान्धिता द्वारा चिकित्सालय से पुत्री की किडनी की बीमारी के उपचार हेतु इलाज हेतु का गुंथी देखा का ली थी एवं कंडि एवं अस्पताल का इलाज ले कर इस कार्यालय में उपस्थित हो तथा राज्य बीमारी सहायता अधिनियम से उपचार हेतु सहायता संबंधी आवेदनपत्र प्राप्त कर फ़ॉर्म की समस्त प्रतिक्रियाएं इस कार्यालय में प्राप्त की गईं। आपकी पुत्री के उपचार हेतु राज्य बीमारी सहायता अधिनियम से सहायता दिए जाने संबंधी आग्रह कार्यालयी की जा सके।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी  
जिला रोवा (म.प्र.)

कुमांक/अ.बी. सहायता/2016/4477-78 रोवा, दिनांक 14.06.2016

कार्यालय:- कलेक्टर महोदय जिला रोवा की ओर  
सादा प्रचलन।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी  
जिला रोवा (म.प्र.)